



शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण

डॉ. राम मेहर सिंह,
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
छोटूराम किसान स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जीन्द।

शिक्षा मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होने के साथ-साथ वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का एक उपयोगी साधन भी है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व व बुद्धि का विकास कर, उसे आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यों को सम्पन्न करने के योग्य बनाती है। शिक्षा को एक ऐसे उपकरण के रूप में भी मान्यता दी गयी है, जिसकी सहायता से समाज में परिवर्तन व विकास के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य के मूल अधिकारों में से एक माना गया है।

जब महिला शिक्षा की चर्चा की जाती है तो स्पष्टतः देखा जा सकता है कि इस संदर्भ में भी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना शेष है। परंतु साथ ही यह सच है कि स्त्री शिक्षा की आवश्यकता व उपयोगिता को प्रति मानव समाजों की समझ क्रमशः बढ़ रही है। विश्वभर में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए किये गये आंदोलनों में, उनकी निम्न स्थिति को बदलने के लिए, शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। 19 वीं शताब्दी के भारतीय समाज सुधारकों का भी ऐसा ही मत था। परंतु प्रारम्भिक काल में महिला शिक्षा का उपयोग, महिला को एक पत्नी व माता के परम्परागत कर्तव्यों के और अधिक कुशलतापूर्वक निर्वह करने के योग्य बनाना था, न कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी अधिक दक्ष व कुशल भागेदारी हेतु उन्हें सक्षम करना था। धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन आया तथा विशेषरूप से स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा के महत्व को उसके विविध व विस्तृत आयामों के संदर्भ में देखा जाने लगा और इन्हीं विविध आयामों में शामिल है, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के अर्थपूर्ण प्रयासों की संभावना। आज : स्पष्टतः माना जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला, समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकारों ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में बहुविध

ISSN : 2348-5612 © URR



भूमिका निर्वह करने के लिए महिलाओं का आह्वान करने उनकी स्थिति सुधारने हेतु नये-नये आयाम प्रस्तुत किये। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक 'नीतिनिर्देशक' सिद्धांत घोषित किया गया है। इसमें कहा गया- 'राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निशुल्क एवं अनिवार्य, शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।'

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी एक ऐसे उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका पर बल दिया जो नई समाजव्यवस्था का निर्माण करने के लिए स्त्रियों को सक्षम बना सकें। आज महिलाओं के मानवीय अधिकारों तथा समाजों व राष्ट्रों के विकास, दोनों ही संदर्भों में महिला शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाने लगा है। यही कारण है कि आज भारत में भी लड़कियां व महिलाओं की शिक्षा प्रमुख नीतिविषयक तत्व बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (एन. ई. पी. 1986) में न केवल महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समस्या की चर्चा की गयी है बल्कि साथ ही शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया गया है। इस हेतु लैंगिक विषमताओं की समाप्ति को भी मुख्य प्राथमिकता देने की इस शिक्षा नीति में चर्चा है। अब 93 वें संशोधन (2001) के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार मान लिया गया है।



प्रस्तुत लेख में महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के संदर्भ में शिक्षा के महत्व व उपयोगिता की चर्चा की गयी है। विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर महिलाओं की स्थिति की जांच कर, यह जानने का प्रयास किया गया कि शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य तक पहुंचने की क्या संभावना हो सकती है। किसी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जबकि उस समाज में महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धांतिक मान्यता के साथ-साथ समाजों में व्यवहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। महिलाओं की स्थिति की जांच करने से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि यद्यपि कानूनी व सैद्धांतिक संदर्भों में उनके अधिकारों व अवसरों में कोई नहीं है परंतु व्यवहारिक स्वीकार्यता के संदर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सके हैं। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं को स्थिति का आकलन लैंगिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचकों के विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों व राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार व पिछड़ेपन का आकलन करने में इन सूचकों का विशेष महत्व व सार्थकता है। कुछ प्रमुख सूचक इस प्रकार माने गये हैं-

अ कार्यात्मक सहभागिता अ शिक्षा अ स्वास्थ्य अ जीवन अवधि अ सुरक्षा

अ सार्वजनिक / निजी जीवन में निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता आदि-आदि विकास संबंधी उपर्युक्त सूचकों में से प्रस्तुत लेख में केवल शिक्षा को लिया गया है। विभिन्न शैक्षिक सूचकों के विस्तृत विश्लेषण से पूर्व महिलाओं के संदर्भ में 'समानता' व सशक्तिकरण इन दो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण करना भी उचित होगा।

समानता

समानता का सामान्य अर्थ है- 'समान अवसरों की उपलब्धता' विस्तृत अर्थों में कहा जा सकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन में, बिना किसी भेदभाव के अवसरों की समान उपलब्धता ही 'समानता' है।

समानता के सैद्धांतिक आश्वासन व व्यवस्था के बावजूद, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते लैंगिक विषमताओं को पूर्णतः समाप्त किया जाना संभव नहीं हुआ है। लैंगिक असमानता की जड़ें मुख्यतः सत्ता व शक्ति संबंधों, जाति, वर्ग संस्तरण,

सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, प्रथाओं व नियमों पर आधारित रही हैं।

सशक्तिकरण

लैंगिक विषमताओं को प्रोत्साहित करने वाली परंपरागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे कि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सके, महिला सशक्तिकरण का आधार माना गया है। महिला सशक्तिकरण के कुछ परिभाषित मानक इस प्रकार माने गये हैं।

अ महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित करना।

अ महिलाओं की सकारात्मक छवि का निर्माण -यह कार्य सामाजिक आर्थिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देकर किया जा सकता है।

अ महिलाओं में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करना।

अ निर्णय लेने की क्षमता का पोषण व उसे उन्नत करना।

अ आर्थिक स्वतंत्रता हेतु सूचना, ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना।

अ महिलाओं से कानूनी ज्ञान का विकास तथा स्वयं के अधिकारों संबंधी सूचनाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना।

अ सामाजिक -आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से उनकी सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास करना। विकास प्रक्रिया में समान भागेदारी सुनिश्चित करना।

महिला समानता व सशक्तिकरण संबंधी उपर्युक्त मानकों की व्यवहार प्राप्तियों के संदर्भ में निश्चय ही शिक्षा को एक आधारभूत उपकरण माना जा सकता है, परंतु इस संदर्भ में कुछ विचारणीय प्रश्न भी हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं-

अ क्या महिला साक्षरता दर व शैक्षिक स्तर को उन्नत करके लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है?

अ क्या यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि महिलाओं के शैक्षिक स्तर में सुधार से लैंगिक विकास निश्चित रूप से होगा?



यद्यपि लैंगिक समानता, विकास व महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में शिक्षा की निश्चित व महत्वपूर्ण भूमिका मानी गयी है परंतु यह कहना भी कठिन है कि केवल शैक्षिक स्तर में सुधार से ही महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित होगा। कारण यह है कि लैंगिक विषमता व पक्षपात की वर्तमान स्थिति मुख्यतः अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों व पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का परिणाम है। अतः केवल शैक्षिक स्तर में वृद्धि के आधार पर इसके समाप्त किये जा सकने का दावा नहीं किया जा सकता, तो भी शिक्षा की उपयोगिता को कम करके नहीं देखा जा सकता। वस्तुतः शिक्षा ही वह मुख्य उपकरण है जिसका महिलाओं की स्थिति व सशक्तीकरण पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। अतः महिलाओं की साक्षरता दर एवं उनके शैक्षिक स्तर के विश्लेषण व विवेचना के आधार पर उनकी स्थिति का आकलन करना संभव है।

प्रस्तव लेख में महिला शिक्षा से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण किया गया है।

अ महिलाओं का साक्षरता स्तर अ साक्षरता स्तर के संदर्भ में विद्यमान लैंगिक असमानता। अ प्राथमिक व माध्यमिक शैक्षिक स्तर पर बच्चों का स्कूल में नामांकन तथा ड्रापआऊट दर। अ बच्चों के स्कूल न जाने का कारण।

अ विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर लड़के व लड़कियों को स्कूल में कालेज में नामांकन का तुलनात्मक विश्लेषण।

प्रस्तुत लेख को शासकीय स्रोतों से उपलब्ध नवीनतम द्वैतीयक आंकड़ों पर आधारित किया गया है। विभिन्न शैक्षिक सूचकों के आधार पर राज्यवार महिलाओं के शैक्षिक स्तर को जांचने का प्रयास भी किया गया है। विभिन्न राज्यों में महिलाओं के तुलनात्मक शैक्षिक स्तर को ज्ञात करने के लिए एक सामान्य 'श्रेणी क्रम' तरीके को अपनाया गया है। शैक्षिक संदर्भ में राज्यों को पदानुक्रम निम्नतम से उच्चतम की ओर दिये गये हैं। इस प्रकार श्रेणी क्रम 1 उसे राज्य को दिया गया है जो कि शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है तथा उच्चतम पद उस राज्य को दिया गया है। जिसकी शैक्षिक स्थिति सबसे अच्छी है।

महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थिति

नियोजित विकास प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण के अतिरिक्त शिक्षा को भी महिलाओं के विकास हेतु आवश्यक माना गया। स्कूल में बच्चों के नामांकन व

ड्रापआऊट के संदर्भ में पायी जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए शासन द्वारा विशेषकर छठी योजना, प्रयास किये गये। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं (विशेषकर छठी योजना, 1980-85 से) में भी शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गयी। इस संदर्भ में स्थानीय स्तर के संगठनों, मुख्यतः अनौपचारिक शिक्षा के लिए कार्यरत संगठनों की संलग्नता को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। परंतु विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की नामांकन वृद्धि हेतु किये गये प्रयास तब तक अधिक प्रभावी नहीं हो पायेंगे तब तक कि स्कूलों में उनको निरंतर उपस्थित रहने हेतु तत्पर न किया जा सके। लड़कियों की ड्रापआऊट दर, उनके नामांकन हेतु किये गये प्रयासों की निष्फल कर देती है।

किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में प्रथम कदम होता है 'साक्षरता अर्थात् पढ़ने-लिखने की क्षमता का होना। पिछले दशक (1991-2001) में महिला साक्षरता की दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि होना उत्साहजनक माना जा सकता है। 1991 की 39 प्रतिशत की तुलना में 2001 में महिला साक्षरता दर का 54 प्रतिशत तब हो जाना उल्लेखनीय सुधार माना जा सकता है। (सारणी) यह सब निश्चय ही शासकीय व अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गये प्रयासों का ही परिणाम है।

उच्च शिक्षा और महिलाएं

प्राथमिक शैक्षिक स्तर पर अपेक्षाकृत कम नामांकन तथा विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर स्कूल छोड़ देने के कारण बहुत कम संख्या में लड़कियों उच्च शिक्षा तक पहुंच पाती है। परंतु उत्साहजनक तथ्य यह है कि आज उच्च शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों में लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कला व चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में पहले भी थोड़ा बहुत लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। परंतु साइंस, इंजीनियरिंग व कामर्स आदि में तो उनकी संख्या न के बराबर थी। परंतु अब इन सभी क्षेत्रों में लड़कियां अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रति 100 लड़कों में लड़कियां की संख्या आंकड़े दिये हैं। आंकड़ों के अनुसार 1950-51 में प्रति 100 लड़कों में कला संकाय में 15.4 प्रतिशत चिकित्सा में 18.5 प्रतिशत लड़कियां थीं। परंतु साइंस (0.0 प्रतिशत) कामर्स (0.5 प्रतिशत) व इंजीनियरिंग (0.3 प्रतिशत) में लड़कियां लगभग नहीं थीं। परंतु 1998-99 के आंकड़ों के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रति 100 लड़कों में कला (18.1 प्रतिशत) चिकित्सा (62.1 प्रतिशत), साइंस (55.2



प्रतिशत), कामर्स (46.1 प्रतिशत) तथा तकनीकी शिक्षा (24.3 प्रतिशत) के क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि को पर्याप्त माना जा सकता है। यद्यपि सभी शैक्षिक स्तरों पर लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है परंतु स्त्रियों की स्वयं की साक्षरता दर व शैक्षिक स्तर में हुई प्रगति को उत्साहजनक माना जा सकता है। इन सभी शैक्षिक उपलब्धियों ने निश्चय ही एक वर्ग के रूप में महिला को सशक्त किया है।

शिक्षा व शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के जमीनी सच्चाई से जुड़े प्रसंग समय-समय पर चर्चित होते रहे हैं। साक्षरता व शिक्षा हेतु चलाये गये अभियानों से महिलाओं में जागरूकता व गयात्मक प्रेरणा उत्पन्न हुई है। उदाहरणार्थ – आन्ध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा 'अरक' (शराब) के विरुद्ध सशक्त रूप से चलाया गया आंदोलन (जिसमें उन्हें हिंसा का सामना भी करना पड़ा)। मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से प्राप्त जागरूकता का ही परिणाम था। 'महिला सामख्या' कार्यक्रम व 'सेवा' (सैल्फ इम्प्लाइट वीमैन्स एसोसिएशन) जैसे संगठनों का भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा में लैंगिक विषमता समाप्त करने हेतु राजस्थान की 'लोकजुम्बिश' तथा 'शिक्षाकर्मी' आदि कार्यक्रमों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस शैक्षिक जागरूकता के चलते ही महिलाओं संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। अब महिला कार्यक्रमों का 'फोकस' महिला कल्याण से थोड़ा हटकर 'महिला अपने कल्याण के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं बल्कि स्वयं समर्थ होगी। इस हेतु महिलाओं को शिक्षक रूप से और सुदृढ़ करना होगा। साक्षरता दर विभिन्न शैक्षिक रूप से और उनकी स्थिति को निरंतर उन्नत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक

असमानता को समाप्त करने हेतु प्रयासरत होना होगा। इस संदर्भ में सन् 2010 तक संभावित रूप से प्राप्त किये जा सकने वाले सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य हेतु चलाये जा रहे 'सर्वशिक्षा अभियान' जैसे कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से संचालित किये जाने की आवश्यकता है। तभी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकना संभव होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महिला सशक्तीकरण : डॉ बलबीर सिंह
2. नारी शिक्षा : एक महत्वपूर्ण पहल : डॉ. प्रदीप कुमार
3. विकास और महिला: डॉ. विश्वकान्ता प्रसाद
4. महिला और समाज : डॉ. शिव प्रसाद
5. महिला उत्पीड़न : डॉ. अशोक कुमार
6. नारी जीवन और चुनौतियां : डॉ. चन्द्रमणि सिंह
7. नारी के बढ़ते कदम : डॉ. विनय कुमार
8. भारत में महिला शिक्षा : डॉ. कांति कुमार
9. नारी जीवन : विनोद सिंह